न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

राजस्व प्रकरण संख्या 50/2022

1. फतेह सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. —वादी

बनाम

2. उम्मेद सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. वगै — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज.का. अधि.1955

यह वाद पत्र न्यायालय हाजा में 50/2022 पर दिनांक 21.06.2022 को दर्ज किया गया तथा न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुये प्रकरण में दिनांक 03.03.2023 को प्राथमिक डिक्री की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार अरांई द्वारा दिनांक 08.05.2023 को बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया, प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2023 की अपीलार्थी श्री मंगल सिंह पुत्र सज्जन सिंह द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील क्रमांक 136/2023/223 आर.टी. एक्ट(2023/136) पेश की गई। अपील का न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 29.05.2023 को निर्णय सुनाया तथा निर्णय न्यायालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश प्रदान कियें हैं कि वाद संख्या 50/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2023 को निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित करें की वादग्रस्त आराजी में कब्जे को प्राथमिकता प्रदान करते हुये बंटवारा प्रस्ताव पेश करे।

अतः इसी क्रम में उपरोक्त प्रकरण को दर्ज किया जाता है तथा वकील पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.07.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21.07.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ....
दिनांक 05.08.23 को पेश हो।

05/8/2023 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश करे। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 15/9/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

15/9/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार तलबी ....
दिनांक [illegible] को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	C.NO. 50/2022 फतेहसिंह v/s उम्मेद सिंह
08/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रकरण मे तहसीलदार अराई द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जो शा.मि.। बंटवारा प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर है। विस्तृत आदेश व डिक्री पृथक से टंकण कर पत्रावली मे शामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो। [signature]
	उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)
	Date 22/11/2024 [C.NO. 50/2022 फतेहसिंह v/s उम्मेद सिंह]
22/11/2024	वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रा०पत्र वास्ते आदेश दिनांक 08/11/24 का रिव्यु बाबत पेश करने तथा न्यायहित मे उक्त प्रा०पत्र को स्वीकार करने से पत्रावली आज पुनः पेश हुई। रिव्यु प्रा०पत्र के सम्बन्ध मे वादीगण एव प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादअधीन भूमि मे वादी प्रतिवादीगण का समान हिस्सा पृथक पृथक एव सभी प्रतिवादीगण का समान हिस्सा कर दिया जावे। हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया। अतः रिव्यु प्रा०पत्र को स्वीकार कर संशोधित डिक्री व आदेश जारी किये जाते है। वाद फैसल शुमार हो। [signature]
	उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

identify by me
Kushkum

संशोधित डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 50/2022 उनवान फतेह सिंह बनाम उम्मेद सिंह

1. फतेह सिंह पुत्र सज्जन सिंह आयु 55 साल जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, ग्राम धौलपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र सज्जन सिंह
   1/1 भंवर कंवर पत्नी उम्मेद सिंह
   1/2 राजवीर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
   1/3 सपना कंवर पुत्री उम्मेद सिंह
   1/4 नन्दनी कंवर पुत्री उम्मेद सिंह
2. जब्बर सिह पुत्र सज्जन सिंह
3. मंगल सिह पुत्र सज्जन सिंह
4. शैतान सिंह पुत्र सज्जन सिंह
5. हरि सिंह पुत्र सज्जन सिंह सर्व जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, ग्राम धौलपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक कटसूरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई।

—प्रतिवादीगण

•संशोधित डिकी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188,209 राज.का. अधि. 1955•
मुकदमा नम्बर (50/2022) उनवान फतेह सिंह बनाम उम्मेद सिंह
उपस्थित वकील वादी श्री योगेश शर्मा निर्णय दिनांक 22.11.2024

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के संबंध में जारी बंटवारा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.08.2024 के संबंध में वकील वादी द्वारा सहमति के क्रम में मौका कमिश्नर तहसीलदार अराई द्वारा ग्राम धौलपुरिया पटवार हल्का कालानाडा तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित वर्तमान खाता संख्या 57 खसरा संख्या 171, 353, 354, 475, 593, 594, 770/264, 772/265, 787/345 कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.7208 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 55 खसरा संख्या 264, 310, 345, 355, 356, 357, 358, 359, 361 कुल किता 09 कुल रकबा 11.6947 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 258 के खसरा संख्या 263, 313, 316, 317, 318, 346, 346/690, 362, 786/345 कुल किता 09 कुल रकबा 11.5444 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 259 के खसरा संख्या 619 कुल किता 01 कुल रकबा 1.3106 हैक्टैयर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। दिनांक 08.11.2024 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गई। दिनांक 22.11.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश का रिव्यू करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि वादअधीन भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक पृथक बंटवारा कर दिया जावे। हमारे द्वारा न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया अतः संशोधित डिक्री जारी वादअधीन भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक पृथक बंटवारा किया जाता है, उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम संशोधित डिक्री की जाकर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है–

सहायक कलक्टर
अराई